न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक A-369-PBR/17 /2016-17 द्वितीय अपील ·

(1)- दिलीप सिंह

(2)- पप्पी

(3)- मोहकम

(4)- अजय सिंह पुत्रगण गप्पू सिंह हिस्सा 1/5

(5)- रतन लाल

(6)- मखान

(7)- ओंकार सिंह पुत्रगण करन सिंह हिस्सा 1/6

(8)- परसराम फौत वारिस -

8(ए)- अतर सिंह

8(बी)- रामनिवास पुत्रगण परसराम

8(सी)- मुन्नी बेवा परसराम भाग 1/5 समस्त निवासीगण ग्राम सिरसौद , तहसील व जिला ग्वालियर (म0प्र0)

----- अपीलार्थीगण

श्री विजय शुक्ला कॉपी द्वारा आज दि. 20-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-1-17 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

(1)- डीन विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।

(2)- म0प्र0 शासन ।

-------- रेस्पोन्डेन्टस्

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 , विरूद्ध आदेश न्यायालय श्री डी0डी0 अग्रवाल अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 358/15-16 अपील वउनवान दिलीप सिंह आदि बनाम डीन विजया राजे कृषि विश्वविद्यालय

--2

ग्वालियर आदेश दिनांक 30-11-2016 के विरूद्ध अपील ।

-------0 ------

माननीय न्यायालय ,

अपीलार्थीगण की ओर से अपील निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

(1)- यह कि, ग्राम सिरसौद परगना व जिला ग्वालियर पूर्व में नक्शाविहीन गांव था जिसमें भू-प्रबन्धन कार्य के दौरान वर्ष 2007-08 में नवीन नक्शा निर्माण कार्य किया गया तथा नक्शा निर्माण कब्जे के अनुसार बनाया गया था । अपीलार्थीगण का बन्दोबस्त के पूर्व सर्वे क्रमांक 942 रकवा 8.277 हे0 था , उक्त नक्शा निर्माण के समय अपीलार्थीगण के कब्जे वाली जगह 942 पर कब्जा अनुसार 1357 नम्बर नक्शे में निर्मित किया गया है जिस पर अपीलार्थीगण का कब्जा है ,जबकि मौके पर नक्शे में अपीलार्थीगण का खेत 1364 बनाकर अलग कर दिया गया है जिससे दुखित होकर अपीलार्थी ने कलेक्टर जिला ग्वालियर को धारा 107 में आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था जिसे कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर ने दिनांक 27-8-2014 को बिना कोई समीक्षा किये अपीलार्थीगण का आवेदनपत्र निरस्त कर दिया जिससे दुखित होकर अपीलार्थीगण ने एक अपील माननीय अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर में की उन्होंने भी प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा करते हुए मनमाना आदेश पारित किया जिससे दुखित होकर अपीलार्थी निम्न आधारों पर यह द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 369–पीबीआर/17 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–02–2017	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी कमांक 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30–11–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि कब्जे के आधार पर नक्शा संशोधन नहीं किया जा सकता है, अतः कब्जा नक्शा संशोधन का आधार नहीं हो सकता है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विस्तृत विवेचना की गई है । अतः यह अपील आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	